

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या- उ0सं0वि0-26/2003 विभागीय अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 17.02.2004, जिसके द्वारा प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में लिया गया है, के क्रम में सुपौल, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- | | | | |
|-----|--|---|------------|
| 1 | जिला समाहर्ता | - | अध्यक्ष |
| 2 | जिला आपूर्ति पदाधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| (क) | जिला से संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि | | |
| 3. | जिला से निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य | | सदस्य |
| 4. | जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य | - | सदस्य |
| (ख) | विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि | | |
| 5. | उप विकास आयुक्त | - | सदस्य |
| 6. | जिला शल्य चिकित्सक | - | सदस्य |
| 7. | जिला कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 8. | जिला शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 9. | जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम | - | सदस्य |
| 10. | अध्यक्ष, जिला परिषद् | - | सदस्य |
| 11. | केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन | - | सदस्य |
| (ग) | महिला प्रतिनिधि | | |
| 12. | श्रीमती पुष्पा गुप्ता | - | सदस्य |
| | पता- वीरपुर, वार्ड नं0-09, जिला- सुपौल। | | |
| 13. | श्रीमती राधा देवी | - | सदस्य |
| | पति- मनोहर ठाकुर सा0, बेरिया, जिला-सुपौल। | | |
| (घ) | स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि | | |
| 14. | श्रीमति मधु सिंह | - | सदस्य |
| | पता- सावित्री प्रभा सेवा संस्थान,
वीरपुर, वार्ड नं0- 05, जिला- सुपौल। | | |
| 15. | श्री देवनारायण यादव, | - | सदस्य |
| | पता-कोशी पीड़ित महिला विकास मंडल,
नयानगर, जिला -सुपौल। | | |
| 16. | श्री विजय कुमार घोष, | - | सदस्य |
| | पता-समग्र विकास स्वेच्छिक संस्था, वीरपुर,
वार्ड नं0- 13, जिला- सुपौल। | | |



17. श्री रामनरेश कौशिकी, — सदस्य
पता—सुपौल मानव सेवा, खरैल पुर्नवास,
जिला— सुपौल
- (ड.) किसान / व्यापारी / उद्योग के प्रतिनिधि
18. श्री देव नारायण खेड़वार, किसान — सदस्य
पता—बसंतपुर, जिला – सुपौल।
19. श्री रामचन्द्र यादव — सदस्य
पता—सा0 बलहा, जिला— सुपौल
20. श्री लालेश्वर विश्वास, — सदस्य
पता— स0 बसबिट्टी, जिला— सुपौल
21. श्री राकेश कुमार, व्यापारी — सदस्य
पता—वीरपुर, वार्ड नं0— 09,
जिला— सुपौल
- (च) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति
22. श्री विनोद कुमार दास, — सदस्य
पता— मंगल बाजार, त्रिवेणीगंज,
जिला— सुपौल
23. श्री निर्धन पासवान, — सदस्य
पिता— स्व0 शिबु पासवान,
जिला— सुपौल ।
24. श्री कल्याण मिश्र, — सदस्य
पता—वीरपुर, वार्ड नं0— 08, जिला— सुपौल
25. श्री शरद कुमार, — सदस्य
अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय,
जिला – सुपौल ।

(2) शर्तः—

2. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 03 (तीन) वर्षों का होगा।
3. जो माननीय सांसद / विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य हैं, के सांसद / विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुनर्गठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।



6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित 2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होग जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होनेवाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य जैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-01 के पदाधिकारी को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष-3456 नागरीक पूर्ति योजना से होगा।

(3) आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाश कुमार) 03/09/15

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक,

खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003 7056

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद्/माननीय विभागीय मंत्री दशरथ/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. प्रतिलिपि:- समहर्ता, सुपौल से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003 7056

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003 7056

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक